The Indira Gandhi National Tribal University Bill, 2007

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Members, it has been decided that because of heavy agenda, no lunch break is there today. I think, I have the consensus of the House on this.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the Indira Gandhi National Tribal University Bill, 2007.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Sir, I beg to move:

> "That the Bill to establish and incorporate a teaching and affiliating University at Amarkantak in the State of Madhya Pradesh to facilitate and promote avenues of higher education and research facilities for the tribal population in India and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

Sir, this is a Bill, which I have the privilege to move today because in the country we have a lot of prominence and priority to issues relating to tribes who inhabit a very large section of the area of the country. It was necessary that various issues relating to them should be dealt with at a higher academic level. Therefore, this University has been proposed to be established. It will be a central university. Since the demand for such an institution has come in from various parts of the country, it has been decided that this University will have campuses in all those areas where there is large tribal population in the States, and that would facilitate its work instead of opening separate institutions everywhere.

Sir, I would like to say one more thing. There is an amendment by an hon. Member about the name of the University. This has not yet come, but I am anticipating and saying something on it with your permission. Sir, such a University which has the focus of all tribal people and to serve them could not but have been named after Shrimati Indira Gandhi, who had a deep attachment and commitment to the cause of the tribals, in their various areas, or, responsibilities. The research part in this University will have to go into many areas which are considered to be vital by the tribal population, and, I am sure, you will see an interest being taken, in the cultural, social and in political dimensions, on the tribals of India. Therefore, I think, this is appropriate time to have this in place for the benefit of the country. Thank you.

The question was proposed.

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ) : उपसभापति जी, धन्यवाद, जो आपने मुझे इतने बड़े महत्व के बिल पर विचार रखने के लिए अवसर दिया। एक प्रकार से यह एक ऐतिहासिक अवसर है, जो हमने जनजातियों की आबादी के लिए, जो देश की लगभग 9-10 प्रतिशत है, उनकी उच्च शिक्षा की कुछ व्यवस्था करने और उनके शोध कार्यो की व्यवस्था करने के लिए विचार किया है। इस सीमित दृष्टि से यह अभिनंदनीय कदम है।

महोदय, माननीय मंत्री जी, इतने वरिष्ठ नेता हैं इस देश की राजनीति में, केन्द्रीय शासन में, और आप मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री भी रहे हैं, हम इनका बहुत आदर करते हैं। पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि इस बिल को कितनी बार लिस्ट पर लाया गया और किसी कारण से यह नहीं आ सका, मगर आज आपने इतने कष्टपूर्वक यहां आकर इस बिल को प्रस्तुत किया है, मैं आपकी भावना का बहुत आदर करता हूँ। यह बिल भले ही देर से आया है, 'देर आयद, दुरुस्त आयद' ऐसी कहावत है, अच्छा बिल है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री प्रशांत चटर्जी) पीठासीन हुए]

महोदय, मैं नहीं जानता कि इस समय इस बिल को लाने का क्या कारण है? अभी कुछ देर पहले यहां माननीय मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी जी उपस्थित थे, जब इस यूनिवर्सिटी के लिए निर्णय लिया गया था, तो बाद

में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया था। मैंने यहां के रेफरेन्स सेक्शन से इस बिल के बारे में कुछ कागजात मंगवाए, तो उसमें एक पृष्ठ ऐसा भी है, जो दिल्ली से निकलने वाले प्रसिद्ध अखबार से है, जिसमें कहा गया है कि इस समय इसको लाने का कारण, जो उसकी दृष्टि है, मैं नहीं कह रहा हूँ, उसका अनुमान ऐसा है कि चूंकि कुछ राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और शायद इसका लाभ मिले, क्योंकि इन क्षेत्रों में संबंधित लोगों को पिछले चुनाव में उतनी सफलता नही मिली थी। यह उसकी दृष्टि से कहा जा रहा है, जो मैं उनकी बात कह रहा हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार की कोई भावना हमारे मान्यवर वरिष्ठ मंत्री जी के मन में होगी, परन्तु अखबारों में आ रही है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ।

महोदय, आपने इसे मध्य प्रदेश में लाने का निश्चय किया है, इसका भी स्वागत है। यदि आप इसको छत्तीसगढ़ में लाए होते, या झारखंड में लाए होते, या उड़ीसा में लाए होते, तब भी मैं उसका उतना ही स्वागत करता। क्योंकि आपने स्वयं इसके आब्जेक्टिव्ज में कहा है कि पूर्वांचल के बाद बहुत बड़ी आबादी इन सारे राज्यों में रहती है। आपका कहना दुरुस्त है और इसलिए आपने इसको मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। आपने जो स्थान चुना है, मैं उसके बारे में थोड़ी देर में अपने विचार रखूंगा।

आपने संशोधन का उल्लेख किया है, मुझे आशा है कि जो संशोधन मैं लाया हूं, चूंकि आपने उन पर टिप्पणी नहीं की है, इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि आपने उन्हें मान लिया है और उसमें कुछ कठिनाई भी नहीं है। मैंने बहुत छोटे संशोधन रखे हैं, यदि माननीय मंत्री जी तक वे न पहुंचे हों तो मुझे खेद है। मैं आशा करता हूं कि कोई न कोई वहां तक उन्हें पहुंचा देंगे, क्योंकि मुझे वे हिन्दी और अंग्रेजी में भी प्राप्त हो चुके हैं। मैं उनका बाद में उल्लेख करूंगा।

अभी मैं इसके नाम से संबंधित कुछ बातों पर अपने विचार रखना चाहता हूं। मेरी पहली चिंता ट्राइबल शब्द के उपयोग पर है। आपकी भावना सही होगी, परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस ट्राइबल शब्द के साथ भारत के पिछले 50, 100 वर्षों में इतनी बातें जुड़ी हैं, इतने प्रकार के आन्दोलन चल रहे हैं, उन विषयों को विश्व मंच पर ले जाने का प्रयास भी इस देश के संगठन करते रहे हैं और मैं इस समय आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहता हूं - "A memorandum submitted to Shri P.V. Narasimha Rao, hon. Prime Minister of India, on International activities of the Indian Council for Indigenous and Tribal Peoples abroad and at the United Nations". यह 2 जुलाई, 1992 को तत्कालीन प्रधान मंत्री, माननीय श्री नरसिंह राव जी को दिया गया memorandum है और जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या इस देश में इस प्रकार की बातें भी हो सकती हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ऐसे भी संगठन हो सकते हैं, जो ऐसी बातें विश्व मंच पर ले जाते हैं! मैं उस सारे memorandum को तो नहीं पढ़ना चाहता हूं, परन्तु उसमें से एक पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूं और मुझे भरोसा है कि हमारे वरिष्ठ मंत्री जी सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं सदन के लाभ के लिए उसको पढ़ रहा हूं। ऐसे संगठनों ने जो यूनाइटेड नेशंस में प्रेजेंटेशन दिया है, उसका एक नमूना देखिए। "Whether the Government of India would recognise us as indigenous tribal peoples or not, we know, we still survive and exist as Adivasis, as distinct people, and at this UN Working Group on Indigenous Populations, we have come to express our unity and solidarity with indigenous people all over the world in our movement for liberation of indigenous peoples".

महोदय, यह पढ़ने में तो साधारण लगता है, परन्तु यह बहुत गंभीर परिणामकारी बात है और मुझे खेद है माननीय मंत्री जी कि आज भी देश में इस प्रकार के आन्दोलन चल रहे हैं, जो ऐसी बातों को बल देते हैं, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य ही इन बातों को ध्यान में रखेंगे, ताकि ऐसी बातें अपना सिर अधिक न उठा सकें।

महोदय, इसके साथ, इसी संदर्भ में ही मैं सदन के साथ एक बहुत ही अच्छी बात, एक आनन्द का समाचार भी बांटना चाहता हूं। यह जो प्रयास यहां के कुछ लोग indigenous peoples के नाम पर करते रहे, उसके साथ-साथ जो इस देश के राष्ट्रवादी आन्दोलन चलाने वाले लोग थे और यह जो memorandum मैंने आपके सामने पढ़ा है, हमारे माननीय मंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं कि पुराने मध्य प्रदेश में, अब वह छत्तीसगढ़

का हिस्सा हो गया है, एक अखिल भारतीय कल्याण आश्रम संस्था, जसपुर में बनी थी, उन्होंने ही यह memorandum तत्कालीन प्रधान मंत्री जी को दिया था। मुझे इस बात की खुशी है कि इन बातों पर विचार करके ILO में यह प्रश्न उठा था और बाद में इस प्रकार के महानुभावों ने भारत सरकार को अपनी सलाह दी, उसका समादर करते हुए भारत सरकार ने, भारत की ओर से अपना पक्ष रखा। मैं बहुत खुशी के साथ इस सदन को बताना चाहता हूं कि बहुत दिन नहीं हुए हैं, इसी वर्ष 13 सितंबर को युनाइटेड नेशंस के Declaration on the Rights of Indigenous People पर वोट पड़ा है और भारत की तरफ से जो तथ्य रखा गया था, वह मैं आपके सामने बता रहा हूं, यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। उसके "India" Chapter में लिखा है कि - "The text did not contain a definition of indigenous. The entire population of India was considered to be indigenous."

माननीय सदस्यो, यह एक बहुत महत्व की बात है कि इस देश के सभी लोग यानी कि हम लोग यहां के मूल निवासी हैं। यह उस थ्योरी को तोड़-फोड़कर एक तरफ कर देता है, जो अंग्रेज़ों ने हम पर लादी कि आर्य बाहर से आए और यहां के लोगों को खदेड़ा। यूरोप के लोगों का यही अनुभव रहा है, इसलिए वे ऐसा कहते हैं। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मैंने एक साल पहले 18.12.2006 में जनजातीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछा था कि यह जो अंग्रेज़ों के द्वारा लादा गया शब्द है - आदिवासी, इसको हटाने के लिए सरकार क्या कर रही है? *शायद उनको जरूर स्मरण होगा, उनका उत्तर भी आया था और उत्तर यह था कि हम इस विषय पर जानकारी* संग्रहित कर रहे हैं। एक वर्ष हो गया है, जब मैंने अपनी website देखी, तो मुझे यह पता लगा कि 18.12.2007 की तिथि इसके लिए तय हुई है, मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में मुझे इसका समाधानकारक उत्तर मिल जाएगा। इस पृष्ठभूमि में मैंने अपना पहला संशोधन प्रस्तुत किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय मंत्री जी इसको सहज ही स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि मैंने केवल उसकी परिभाषा में कुछ जोड़ा है। उस Act में जो जनजातियां हैं, उनका उल्लेख है, किंतु इस "tribal" शब्द से किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो जाए, इसी भावना से तथा आपने जो वहां "scheduled population" की परिभाषा की है, यह लगभग उसी के समान है। मैं समझता हूं कि इसी के कारण आपने मेरे संशोधन का उल्लेख नहीं किया है। मैंने इतना ही कहा है कि यह जो "tribal" शब्द कहा जा रहा है, यहां पर उसका अर्थ जो भारत के संविधान में "scheduled tribes" की परिभाषा है, उसी के अंतर्गत आने वाले सदस्यों के रूप में की जाए, इतना ही मेरा वह पहला संशोधन है। मुझे भरोसा है कि आप भी इसको स्वीकार कर लेंगे, चूंकि यह बहुत सामान्य-सी बात है, केवल जिन्होंने ड्राफ्ट किया है, उनके ध्यान में यह बात नहीं आई होगी, इसलिए यह बात रह गई होगी।

माननीय बंधुओ, यह जो बात युनाइटेड नेशंस के Declaration में कही गई है, हम सभी उससे पूरी तरह सहमत हैं। मेरा यह मानना है कि भारतीय हिंदू समाज के सभी बंधु, इसके अभिन्न अंग हैं और आपसे यह कहने में मुझे खुशी है कि विश्व हिन्दू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री अशोक सिंघल जी ने कहा है कि ये जो बंधु यहां रह रहे हैं, वे धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए बलिदान करने वाले लोग हैं, उन लोगों को स्वतंत्रता का सेनानी कहा जाना चाहिए। इन लोगों ने ऐसे ही जाकर वहां अपनी बस्तियां नहीं बसाई हैं। अनेक प्रकार के उदाहरण हैं, हरेक प्रांत में उदाहरण हैं, जहां इन लोगों ने वहां की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया है। दूसरी बात नाम से संबंधित है, मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि मुझे इसकी एक कॉपी मिल गई है और माननीय मंत्री जी ने उसका उल्लेख भी किया है। वह किनके नाम से रखा जाए, इस पर है। मान्यवर, हम लोग इन दिनों 1857 की याद में कई कार्यक्रम कर रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): There is another Member to speak. Your Party's time is 24 minutes.

SHRI SHREEGOPAL VYAS: I hope you will allow me. As you know, I hardly get an opportunity to speak and, I believe, you will give me a few minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): I am just informing you the total allotted time to your Party, which is 24 minutes.

श्री श्रीगोपाल व्यास : हम 1857 के कार्यक्रम कर रहे हैं और आप मध्य प्रदेश में ही खोलने जा रहे हैं, तो फिर मध्य प्रदेश के कुछ नाम आपको पता भी हैं, वे तांतिया भील हो सकते हैं, वे जबलपुर के रानी दुर्गावती के अंतिम वंशज शंकर साह हो सकते हैं, रघुनाथ साह हो सकते हैं, झारखंड के बिरसा मुंडा हो सकते हैं, छत्तीसगढ के नारायण सिंह हो सकते हैं, उड़ीसा के सुरेन्द्र नाथ हो सकते हैं और ठक्कर बाबा को भी नहीं भूलना चाहिए। मान्यवर, इंदिरा जी के नाम के लिए मुझे व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना है, पर यदि बांग्ला देश मुक्ति को याद करना हो तो जरूर उनको याद किया जाना चाहिए, यदि बैंक के राष्ट्रीयकरण का कोई विषय है तो उनको याद किया जाना चाहिए और भगवान न करे, यदि आपातकाल को याद करना हो तो भी उनको याद करना पड़ेगा। मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इन नामों पर विचार कीजिए और आप जो कुछ भी उचित समझते हैं, वह निर्णय करेंगे, ऐसा ही मुझे विश्वास है। चूंकि मैं भी मध्य प्रदेश का हूँ, बहुत पुराने समय से हूँ और जब मध्य प्रदेश के तत्कालीन और सीपी एण्ड बरार के मुख्यमंत्री रवि शंकर जी शुक्ल होते थे, तब से मुझे इन बातों की जानकारी है। महोदय, एक अन्य महत्व की बात है, वह स्थान, अमरकंटक बहुत पवित्र स्थान है, नर्मदा जी का उद्गम है, किन्तु पहुंचने के लिए बहुत कठिन है। जबलपुर या पेंड्रा को छोड़कर और रोड मार्ग को छोड़कर हम वहां पहुंच नहीं सकते हैं। सारे देश भर से हम अपने बंधुओं को लाने के लिए सोच रहे हैं, हो सकता है कि यह प्रश्न बन जाएगा, आप कृपया इसका विचार जरूर करिए।

महोदय, जब यह बिल रखा जा रहा था, तब भी मैं एक-दो बातें कहना चाहता था। वहीं अमरकंटक से बहुत दूर नहीं है, गांधी जी के नाम पर चित्रकूट में एक विश्वविद्यालय अभी है, वह बहुत पवित्र स्थान है, वह उन दो भाइयों का मिलन है, जो इस बात के लिए बहस कर रहे थे कि राज्य तुम स्वीकार करो, मैं नहीं लूंगा, यह राम और भरत के मिलन का पवित्र स्थान है। संसार में इसके समान उदाहरण नहीं है। वहां पर एक विश्वविद्यालय है, गांधी जी के नाम पर है, और तो और, आप जानते ही हैं कि वहां पर स्वयं नाना जी देशमुख जिन्होंने राजनीति छोड़कर सेवा के काम में अपना जीवन लगाया, उन्होंने वहां विश्वविद्यालय प्रारंभ किया था और बहुत अच्छे प्रकार से वह काम भी कर रहा था। मैं सोचता हूँ कि मान्यवर मंत्री जी जो कुछ भी उत्तर देंगे, इस बात का खुलासा करेंगे। 76 करोड़ रुपए की लागत से एक नया विश्वविद्यालय हम बना रहे हैं, बारह करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च होगा, तो इसका कुछ techno-economic comparison हुआ होगा, इसका भी आप खुलासा करने की कृपा करेंगे, ऐसा मेरा निवेदन है।

महोदय, मेरा दूसरा संशोधन ...**(व्यवधान)**... महोदय, एक मिनट लूंगा। दूसरा संशोधन इस बात पर है कि जो विभिन्न प्रकार के पदों की नियुक्तियों का प्रश्न है, उसकी भाषा में थोड़ा परिवर्तन करने के लिए मैंने दूसरा अमेण्डमेंट लाया है, उसमें मैंने इतना ही कहा है, ऐसा न हो कि उसमें कोई इधर से, उधर से घुसपैठ हो जाए और जिस उद्देश्य को लेकर आप ला रहे हैं, वह बन्धु पिछड़ न जाए, इसलिए मैंने कहा है as far as possible, people from Scheduled Tribes should be taken for all posts. यदि वह उतनी संख्या में नहीं मिलते हैं, तब आप बाकी लोगों का विचार करिए, इतना ही निवेदन मैंने उसमें किया है। मैं आशा करता हूँ कि दोंनो संशोधन आप मान्य कर लेंगे।

एक और बात कह कर मैं समाप्त करुंगा, वह है, आपने विभिन्न अंचलों में स्कूल खोलने की बात कही है। जब स्कूल की शिक्षा का प्रश्न आता है तो माननीय मंत्री जी, हम सिहर उठते हैं। एनसीईआरटी का जो विषय स्कूल शिक्षा के लिए चला, आज कई हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं, भगवान न करे, यदि उस प्रकार के लोग फिर से इन स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, मुझे भरोसा है कि आप उनको नहीं करने देंगे। फिर हमें वह यौन शिक्षा पढनी पड़ेगी, जिसके कुछ शब्दों को कहने में भी लज्जा आती है। दूसरी बात यह है कि उस यौन शिक्षा के संदर्भ में इतने प्रकार के विषय इस देश में चले हैं - ऐसी स्कूली शिक्षा का, भगवान न करे, वहां प्रबंध हो। एक और निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं। जब स्कूली शिक्षा की बात होती है तो माध्यम का प्रश्न आता है। आपने कला और संस्कृति की रक्षा करने की बात कही है। यह बहुत अच्छी बात है लेकिन अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से यदि उनकी पढ़ाई प्रारम्भ से होती है तो मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि यह मेरा अनुभव है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा पहनावा और हमारी भाषा – सब कुछ दांव पर लग जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे लोग आप कृपा करके हर स्थान पर चुनिए जो इस देश की संस्कृति, इस देश की सभ्यता, इस देश के महान आदर्शों को स्थापित करने में सहायक हों। यह मेरा आपसे निवेदन है। एक बात कहकर मैं

अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। महोदय, आपका प्रयास इतना उत्तम होने जा रहा है और नर्मदा जी के पास होने जा रहा है। भगवान करे कि आप उसमें हर स्थान पर ऐसे लोग सम्मिलित करें कि किसी फिल्म निर्माता को यह न कहना पड़े – आप मुझे क्षमा कीजिएगा, आप मुझसे उम्र और अनुभव, दोनों में बड़े हैं, मैं केवल नाम के कारण ऐसा बोल रहा हूं – इस देश में फिल्म निर्माता ऐसी फिल्म भी बनाते हैं कि राम तेरी गंगा मैली हो गयी, मैं आपसे क्षमा याचना करके कहता हूं कि उस पवित्र स्थान को यदि आप अंततः मानते ही हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी फिल्म बनाने के लिए बाध्य हो जाए कि हे अर्जुन, तुम्हारी नर्मदा मैली हो गयी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सब प्रकार से मंगलकारी निर्णय हों।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Please conclude. Twenty minutes have already passed.

श्री श्रीगोपाल व्यास : महोदय, मैं आपके कहने पर कनक्लूड कर रहा हूं। यहां लोग बहुत सारी गज़लें कहने के आदी हैं। मुझे गज़ल कहनी नहीं आती किन्तु मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे सामने माननीय अर्जुन सिंह जी हैं और मेरे नाम में योगायोग से गोपाल है। मैं श्रीमद् भगवत् गीता – जो इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है – का एक श्लोक कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा :

यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः।
तत्र श्री विजयोभूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिमम् ।।

सुश्री सुशीला तिरिया (उड़ीसा) : सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का अवसर दिया। सर, इस बिल का मैं तहे दिल से समर्थन करती हूं। मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूं कि इन्होंने बहुत सोच-समझकर यह नाम रखा है – इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी। मुझे याद है, स्वर्गीय इंदिरा जी जब उड़ीसा दौरे पर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट गयी थीं। ट्राइबल्स के घरों में खाना खाना, उनके साथ अपने आपको शेयर करना, नाचना-गाना – यह सब इंदिरा जी की जाति ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया था। उस वक्त हर मीडिया में, प्रेस में यह आता था कि इंदिरा जी स्वयं कहती थीं कि हो सकता है, किसी जन्म में मैं आदिवासी परिवार में पैदा हुई होऊं इसलिए आदिवासियों के प्रति मुझमें बहुत स्नेह है, उनके प्रति बहुत आदर है, उनके साथ मेरी भावना जुड़ी हुई है और उनके बीच रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है – यह इंदिरा जी का कहना था। मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि आप बधाई के पात्र हैं कि विश्व में जिस इंदिरा जी के नाम से हिन्दुस्तान को जाना जाता था, महिलाओं को जाना जाता था – आदिवासियों को ऊपर उठाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए उन्होंने अपने शासनकाल में भरपूर कोशिश की – उनके नाम पर आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम "इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी" रखा। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, उनको कोई ऐतराज़ नहीं है, चाहे किधर भी रहे। श्री श्रीगोपाल व्यास जी से मैं इतना कहना चाहती हूं कि आदिवासियों में अपनेपन की भावना पूरे हिन्दुस्तान में है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अलग-अलग पार्टियों में इतना राजनीतिकरण हो जाता है कि कई विषयों में अपनेपन को छोड़कर हम राजनीतिक बातें कहते हैं। जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि समय की पुकार होगी, इस बिल को लाने के लिए यह समय क्यों चुना गया? मैं उनसे यह कहना चाहती हूं कि अगस्त महीने में केबिनेट में अप्रूवल हुआ। सोनिया गांधी जी ने बहुत पहले से इस बिल को लाने के लिए, पारित करने के लिए कोशिश की। और आखिर इस हाउस में आज यह बिल पास होने जा रहा है, तो इसके लिए मैं सोनिया जी को भी बधाई देना चाहूंगी, मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगी। यह यूनिवर्सिटी इंदिरा जी के नाम से है, उसके लिए भी मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी। इस बिल में कुछ चीजें हैं जो चिंता का विषय है। इस बिल से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें आदिवासियों की भावनाओं का ध्यान रखा जाएगा तथा उनके लिए तरक्की के रास्ते में जो रुकावट है, उसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी खोलने की बात की गई है इस सेंच्युअरि के जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे और रिसर्च करेंगे तथा अपने आपको समझेंगे और अपने आपको मंथन करेंगे कि क्यों हम लोग पीछे हैं तथा सदियों से हम लोगों को आदिवासी के नाम से क्यों जाना जाता है, हमारे बारे में यह क्यों अखबार में आता है, मैगजीन में आता है कि कभी आदिवासी बच्चा पत्ता खाता है, कभी नंगा रहता है और वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इस तरह से हम लोगों को पीछे ढकेलने के लिए ऐसी न्यूज या ऐसी बातें हमारे बारे में होती हैं। इसलिए इसके माध्यम से उच्च शिक्षा देने की एक बात जरूर है तथा इस

यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च की बात है वह बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं मंत्री जी को यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें ज्यादा संख्या में आदिवासी स्टूडेंट्स हों, ठीक है यह सबके लिए भी होना चाहिए क्योंकि कोई एजुकेशन संस्था किसी एक जाति या कौम के लिए नहीं होनी चाहिए लेकिन इसमें ज्यादा ट्राइबल स्टूडेंट्स को, जो मेधावी हैं, जो इंटेलीजेंट हैं, उनको ज्यादा मौका देना चाहिए ताकि जितनी भी स्कीमज़ हम ट्राइबल के लिए लाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वे लोग मददगार साबित हो जाएंगे। इस तरह से वे लोग अपने आप पढ़ सकते हैं कि हमारे पिछड़ेपन का क्या कारण है और कौन–सी समस्या का समाधान करके हम आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चल सकते हैं। जहां-जहां पर अच्छे रिसर्च स्टूडेंट हैं, जहां पर अच्छे स्कॉलरशिप की फैलोशिप का जो प्रावधान आपने रखा है, इस संबंध में यह निवेदन करना चाहूंगी कि जो मेरिटॉरियस स्टूडेंट्स हों, अच्छी पर्सनलिटी वाले भी हों, देखने में भी अच्छे हों, उनके लिए कुछ फैलोशिप आपको देनी चाहिए। इसलिए मैं आज तक जितने स्टूडेंट्स से मिली हूं क्योंकि मुझे ट्राइबल स्टूडेंट्स के बीच में रहने में काफी आनंद आता है, मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि आई.आई.टी. के कम्पटीशन में कुछ ट्राइबल स्टूडेंट्स को फेल किया जाता है। क्योंकि जब कोई स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई करता है तभी वह स्टूडेंट आई.आई.टी. तक पहुंच पाता है। लेकिन उधर एक कारण रहा कि हर साल कोई न कोई ट्राइबल स्टूडेंट को इसलिए फेल किया जाता है कि वह देखने में अच्छा है, वह स्मार्ट है और अच्छा पढ़ता है तथा दूसरों के मुकाबले में अपने आपको उनके बराबरी में रखना चाहता है। आजादी के इतने साल बाद भी क्या कोई ट्राइबल स्टूडेंट अपने को दूसरों के साथ बराबरी में नहीं रख सकता? दूसरे के साथ बराबरी रखने से जो दूसरे लोगों को जो सुपीरियरिटी कम्पलेक्स है और इनका सुपीरियरिटी कम्पलेक्स पूरा करने के लिए कोई कमियां आ जाती हैं तो उनको फेल किया जाता है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि जो स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है, उसकी अच्छी पर्सनलिटी भी है, उसके लिए भी कुछ अवार्ड देना चाहिए, प्राइज देना चाहिए ताकि उसको एन्करेज किया जा सके। सर, इसमें मैं दो-तीन अन्य मुद्दों पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इसमें यूनिवर्सिटी के अंदर रेजीडेंशियल हॉस्टल है, रेजीडेंशियल स्कूल है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन गर्ल स्टूडेंट्स के लिए करना चाहूंगी और एक-दो पाइंट्स आपके समक्ष रखना चाहूंगी। यूनिवर्सिटी कैम्पस के अंदर गर्ल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हॉस्टल रहना चाहिए। आपके बिल में हॉस्टल के लिए तो प्रॉविजन है, लेकिन गर्ल स्टूडेंट्स की सेफ्टी, सिक्योरिटी को सामने रखते हुए, उनके लिए कैम्पस के अंदर हॉस्टल बनाना चाहिए।

सर, गर्ल स्टूडेंट्स का ड्राप-आउट बहुत ज्यादा है। ट्राइबल गर्ल स्टूडेंट्स के ड्राप-आउट की वजह से एजुकेशन की जो रेश्यो है, वह केवल 3.4 परसेंट है। सर, जहां पर जनरल एजुकेशन टेन परसेंट है, वहीं गर्ल्स स्टूडेंट्स का केवल 3.4 परसेंट है। आपका यह यूनिवर्सिटी बनाने का महत्वपूर्ण बिल है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, जहां पर ट्रायबल्स ज्यादा रहते हैं, उन्हीं को लेकर, उन्हीं की सुविधा के लिए, उनके क्षेत्र की एजुकेशन को बढ़ाने के लिए आप इसको खोलने जा रहे हैं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ट्रायबल संस्कृति को, ट्रेडिशन को, मेडिसन को आप रिसर्च में लाना चाहते हैं और फॉरेस्ट में वे लोग कैसे बचेंगे ! वे लोग फॉरेस्ट इलाके में कैसे जीवन निर्वाह करेंगे ! इन सारी चीजों को देखते हुए, आप इसको दृष्टिकोण में रखकर आगे बढ़ाइये। मैं यह कहना चाहूंगी कि ट्राइबल्स की भी एक संस्कृति है, एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है। ट्राइबल परिवार में साधारणतः महिलाओं को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जिस घर की महिलाएं एजुकेटिड हैं, उनकी आर्थिक नीति, घर का सुधार और स्थिति या स्टेटस, आप कुछ भी बोलिए, उसमें सुधार होता है। महिलाओं की एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि कैम्पस के अंदर रेजिडेंसियल हॉस्टल महिलाओं के लिए खोलना चाहिए। महिलाओं का ड्राप-आउट क्यों हो रहा है और महिलाओं की ड्राप-आउट की संख्या घटाने के लिए इसमें प्रॉविजन किया जाना चाहिए। सर, इस बिल में आपने महिलाओं को रिप्रजेंटेशन दिया है और कहा है कि उनको डिसीजन मेकिंग में ज्यादा महत्व दिया जायेगा, स्टाफ सलेक्शन में भी ट्रायबल लोगों को ज्यादा रिप्रजेंटेशन दिया जायेगा। सर, मुझे इस बिल में adequate percentage of representation वाली एक चीज़ ही ज्यादा समझ में नहीं आ पायी है। जैसे कि श्रीगोपाल व्यास जी ने कहा कि बहुत लम्बे समय से, बहुत सालों से इसकी मांग की जा रही थी। हम लोग रिजर्व क्लॉस के हैं, हमारे लिए बहुत सारी स्कीम्स सरकार बनाती रही, चाहे हमारी सरकार हो या दूसरी सरकार हो, कोई हमारा ज्यादा ध्यान रखता है, कोई हमारा कम ध्यान रखता है, परन्तु सभी ध्यान रखते हैं। सर, जिस तरह से हम लोगों को तरक्की करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, उस तरह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं यह कहूंगी कि adequate

percentage of representation in decision-making, यह चीज़ हमें थोड़ी कम समझ में आयी, इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि इसमें चाहे उन लोगों का डिसीजन ज्यादा महत्वपूर्ण हो या स्टाफ सलेक्शन के decision-making में, लेकिन इसमें इसके बारे में स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए। सर, यह adequate से नहीं चलेगा, कुछ परसेंटेज उसमें देना चाहिए कि ट्रायबल का इतना होना चाहिए।

सर, आपने कुछ रीजनल सेंटर्स की भी बात कही है। हर राज्य में, जहां पर ट्रायबल लोगों की ज्यादा पापुलेशन है, वहां पर रीजनल सेंटर्स खोले जायेंगे और रीजनल सेंटर के अंदर एक आइडियल स्कूल भी रहेगा। सर, रीजनल सेंटर्स के संबंध में, मैं एक निवेदन करना चाहूंगी, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगी और यह मेरा सुझाव है कि ट्रायबल क्षेत्र में जिसने ट्रायबल के लिए ज्यादा काम किया हो, ट्रायबल नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो या कोई ट्रायबल का फ्रीडम फाइटर हो, उनके नाम से या कोई नेता जिसने ट्रायबल्स के लिए ज्यादा काम किया हो, उसी के नाम से, रीजनल सेंटर का उस इलाके में नामकरण होना चाहिए।

सर, मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगी कि जहां पर सेंट्रल स्कूल नहीं हैं, उड़ीसा में भी कुछ बैकवर्ड इलाका है, जैसे Bolangir, Koraput है और ऐसी ही कुछ जगह वेस्टर्न उड़ीसा में हैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट तो ईस्टर्न उड़ीसा में है, मेरा डिस्ट्रिक्ट भी बैकवर्ड जरूर है, जहां पर सेंट्रल स्कूल नहीं है, इसके पहले भी मंत्री जी ने हाउस में जवाब दिया कि सेंट्रल स्कूल खोलेंगे। सर, मैं आपसे एक चीज़ का निवेदन करूंगी कि जहां पर सेंट्रल स्कूल नहीं है, आप हर जगह पर सेंट्रल स्कूल ओपन कर रहे हैं और अभी आप ट्रायबल यूनिवर्सिटी के तहत भी कुछ रीजनल सेंटर भी खोलेंगे, लेकिन जहां पर सेंट्रल स्कूल नहीं हैं या हैं, लेकिन thickly ट्रायबल पापुलेटिड है और डिज़र्व करते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में सेंट्रल स्कूल का कवरेज करीब-करीब है, लेकिन अभी भी नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल्स के एजुकेशन की सख्त जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी, मैं उड़ीसा की होने के बावजूद नॉर्थ ईस्ट के बारे में इसलिए कहना चाहूँगी कि असम और नॉर्थ ईस्ट में भी ट्राइबल्स की पॉपुलेशन कुछ कम नहीं है। आपने सेंट्रल स्कूल तो एक स्कीम के तहत दी है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी के तहत भी आप जो रीजनल कॉलेजेज़ खोलने जाएंगे, उसमें आप जहाँ जरूरत feel करेंगे, जिस इलाके में ट्राइबल्स thickly populated हैं और उधर के लोगों की डिमांड है, जरूरत है, तो कृपया आप उधर भी कुछ रीजनल सेंटर्स खोलने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे यह निवेदन जरूर करूँगी।

सर, आखिर में मैं ज्यादा न कहते हुए एक-दो चीज़ें कहना चाहूँगी। चाहे रीजनल सेंटर्स हों, चाहे सेंट्रल स्कूल्स हों, ट्राइबल इलाके में कुछ ऐसी ट्रेडिशंस हैं, जिसकी वजह से आज वहाँ drop-out ज्यादा है, क्योंकि बच्चियों को 8-9-10 साल के बाद घरेलू कार्यों में ज्यादा involve किया जाता है। अभी भी उन्हें स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती। कुछ परसेंटेज है, ऐसे इलाके हैं, जहाँ अभी गार्जियन उनको पढ़ने के लिए दूर-दराज के स्कूल में भेजते हैं, लेकिन ट्राइबल की ट्रेडिशन में यह जरूर है कि लड़कियों के बड़े हो जाने के बाद अभी भी वे उन्हें स्कूल-कॉलेज ज्यादा नहीं भेजते। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि वे लोग को-ऑपरेटिव तरीके से कुछ स्वास्थ्य की, कुछ शिक्षा की, कुछ इस तरह से प्रगति की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। जैसे आप अभी रीजनल सेंटर्स खोलेंगे, लेकिन किसी शहर में खोलेंगे। हो सकता है कि उधर ट्राइबल्स की रिप्रिजेंटेशन ज्यादा न हो पाए। जहाँ पर ज्यादा ट्राइबल लोग रहते हैं, हो सकता है, उधर महिलाओं और बैकवर्ड, जो लड़के-लड़कियाँ, स्टूडेंट्स स्कूल-कॉलेज में नहीं जा पा रहे हैं, उनका रिप्रिजेंटेशन ज्यादा हो पाए। लेकिन उधर रुकावटें आ रही हैं। जहाँ पर ट्राइबल्स thickly populated हैं, उधर ट्राइबल्स की ज्यादा जमीन है, वह या तो फॉरेस्ट लैंड है या तो गोचर है। उधर आपने जो कानून बनाया है, उस कानून के तहत ट्राइबल की जो जमीन है, न तो कोई बेच सकता है, न खरीद सकता है। सर, इसमें एक चीज़ की जा सकती है कि को-ऑपरेटिव या हेल्थ के लिए या किसी अच्छे फ्यूचर एक्शन प्लान के लिए, डेवलपमेंट के लिए किसी किस्म से कोई ट्राइबल co-operative way में donate करना चाहे, तो उसे जमीन का donation देने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल खोलना चाहेंगे, उस स्कूल को ट्राइबल के पास donate करना चाहेंगे। कुछ-कुछ ट्रायबल्स के पास बहुत सारी जमीन है। जिनके पास ज्यादा जमीन है, उन्हें इस तरह से donation देने का प्रावधान किया जाए कि वे donation दे सकें, not for sale, but for better action plan, education and future co-operative development. मैं आपके सामने इसे निवेदन के तौर पर रखना चाहूँगी।

सर, मैं ज्यादा न कहते हुए केवल इतना कहूँगी कि आप बहुत दिनों के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद इसे यहाँ लाए हैं। हर हफ्ते बिजनेस में यह चर्चा के लिए आ जाता है, लेकिन यह चर्चा में शामिल नहीं हो पाता है। आज चर्चा हुई है और यह विधेयक पास भी हो जाएगा। मैं आपको मुबारकवाद देने के साथ ही साथ एक बात जरूर करूँगी। सर, टीआरडब्ल्यू और आईटीडीए संस्थाएँ, जो सदियों से चली आ रही हैं, वे ट्राइबल इलाके में ट्राइबल लोगों के लिए काम कर रही हैं। इस यूनिवर्सिटी का मकसद टीआरडब्ल्यू और आईटीडीए की तरह नहीं होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी का मकसद यह होना चाहिए जैसे यह आदिवासियों के दिल की धड़कन होनी चाहिए। सर, आदिवासियों को इतनी encouragement देनी चाहिए कि आदिवासी के लिए सरकार बहुत कुछ सोचती है, लेकिन हम खुद अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, उनको इतना मजबूत कर दें कि वे खुद के लिए खुद सोचे और खुद तरक्की के रास्ते पर चल पड़ें। आप इस बिल के मकसद में इस तरह से जान डालें। मैं अंत में आपको धन्यवाद देना चाहूँगी, मुबारकवाद देना चाहूँगी कि आपने दोबारा इन्दिरा जी के नाम से इस बिल को रखा है और पारित करने के लिए लाया है।

श्री कमाल अख्तर (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक, "इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2007" पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही साथ मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वह इतना महत्वपूर्ण बिल लाए। यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि कम से कम 60 साल की आजादी के बाद तो इस प्रकार का कोई बिल लाया गया। गोपाल जी को शंका थी, उन्होंने कहा कि लोग यह कहते हैं कि ऐसे समय पर ही इस प्रकार के बिल लाए जाते हैं, जब चुनाव होने हों। इस बात को बल इसलिए भी मिल जाता है, क्योंकि 60 साल की आजादी के बाद कम से कम 50 साल तक देश के अंदर आपकी ही सरकार रही और इतने वर्षों के बाद आपको आज इस बात का ध्यान आया कि आदिवासी जनजातियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाना है। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज देश के अन्दर बहुत से ऐसे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और पिछड़े लोग हैं, जिन्हें अच्छी शिक्षा की जरूरत है और यह दायित्व सरकार का है कि उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना भी चाहता हूं कि आपने शिक्षा की व्यवस्था तो की, यह विश्वविद्यालय तो बनाया, लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो बेसिक तौर पर काम किया जाना चाहिए, उस प्राइमरी एजुकेशन और माध्यमिक एजुकेशन की आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं? उच्च शिक्षा के लिए आपने विश्वविद्यालय की स्थापन तो कर दी, विश्वविद्यालय बहुत से बन गए जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, लेकिन इस देश में बहुत से ऐसे संस्थान हैं, जहां पर आज भी रिज़र्वेशन का कोटा खाली पड़ा रहता है। वह कोटा भरा नहीं जाता और बाद में उसे सामान्य कैटेगरी में ट्रांस्फर करना पड़ता है। वह कोटा इसीलिए भरा नहीं जाता है, क्योंकि बुनियाद पर जो काम होना है, वह नहीं किया गया। आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक लोगों को जिस प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की जरूरत है, उसके लिए आप लोगों ने कोई ख़ाका तैयार नहीं किया है। मैं आपसे गुज़ारिश करूंगा कि यह विश्वविद्यालय बनाने का मक़सद तभी सार्थक होगा, उन लोगों को सही तौर पर इससे तभी मदद मिल पाएगी, जब आप माध्यमिक और प्राइमरी शिक्षा के लिए अपना जोर लगाएंगे।

दूसरी चीज़, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने यह विश्वविद्यालय बनाया और अभी इसका मक़सद भी आपने बताया कि जनजातीय और आदिवासी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और आगे ले जाना है। देश के अन्दर इससे पहले भी दूसरे लोगों के लिए बहुत से विश्वविद्यालय और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बने। इस संबंध में मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि 1988 में इसी संसद के अन्दर एक बिल पास हुआ, "जामिया मिलिया विश्वविद्यालय" का बिल। यह मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि 1920 में, ख़िलाफत मूवमैंट के समय, महात्मा गांधी, हक़ीम अजमल खां, मौलाना मोहम्मद अली जौहर एवं उन हजारों आजादी के दीवानों ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उस समय उनका मक़सद अच्छे हिन्दुस्तानी बनाने का था और खास तौर पर मुसलमानों के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की उनकी मंशा थी। उन्होंने एवं उनके

बानीयों ने उसे फला-फुला कर आगे बढ़ाया और जब 1988 में इस संसद के अन्दर बिल पास हुआ तो उसका माइनॉरिटी कैरैक्टर खत्म कर दिया गया। जो संस्थान खास तौर से मुसलमानों के लिए बना था, उस चीज़ को ही निकाल दिया गया। यह बात मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि जब आप कोई चीज़ बनाएंगे और उसके मक़सद से भटक जाएंगे तो उस बिल को लाने का कोई लाभ नहीं होगा। अगर यह विधेयक आप एक जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए लाए हैं, तो इसका लाभ उन जातियों और उन लोगों को होना भी चाहिए, जिनको इसकी जरूरत है।

अभी आपके भाषण में आपने कहा कि इन्दिरा गांधी जी के नाम पर इस बिल का नाम इसलिए रखा जाना जरूरी है, क्योंकि इस वर्ग के लोगों में उनकी बड़ी आस्था थी और उन्होंने इस वर्ग के लोगों की बड़ी सेवा की थी। इस बात को मैं अवश्य मानता हूं कि इन्दिरा जी देश की बड़ी नेता थीं और उन्होंने देश के लोगों की बड़ी सेवा की। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी पार्टी में से किसी के नाम पर भी इस विश्वविद्यालय का नाम रखिए, हम लोगों को इस बात से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जो मक़सद है वह पूरा होना चाहिए। आपकी पार्टी के अन्दर ऐसे और कितने नेता हुए हैं, जिनका अल्पसंख्यकों के लिए प्रेम रहा हो और अल्पसंख्यकों के लिए आस्था रही हो? या जिनकी दलितों में आस्था रही हो या पिछड़ों में आस्था रही हो, ऐसे बहुत से नेता आपकी पार्टी के अन्दर होंगे। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जरूर खोज लें, जिनकी अल्पसंख्यक लोगों के अन्दर भी आस्था हो। जो एक बड़ी रिपोर्ट है, जिस पर देश के अन्दर बहुत ढोल-तमाशा है और आपके बड़े-बड़े नेता जाकर चुनावी भाषणों में कहते हैं- सच्चर कमेटी, सच्चर कमेटी। आपकी सच्चर कमेटी के अन्दर लिखा है कि मुसलमान लोग तालीमी तौर पर दलितों से भी पिछड़े हैं। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि वे 60 साल की आजादी के बाद भी पिछड़े हैं और आपने 50 साल राज किया, अगर वे दलितों से बदतर हुए, तो उनको पिछड़ाने के जिम्मेदार आप लोग हैं। मैं यह बात इसमें इसलिए दोहराना चाहता हूँ कि आप किसी ऐसे नेता का नाम जरूर खोज कर रखिए, जिससे कि इस हिन्दुस्तान के 18 करोड़ माइनॉरिटी लोगों को एक, दो या चार ऐसे विश्वविद्यालय मिल जाएँ, जिनसे उनकी तालीम का मकसद पूरा हो जाए।

मैं इन्हीं बातों के साथ इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): At the outset, Sir, I wholeheartedly congratulate the hon. Minister, Shri Arjun Singh, and the hon. Minister of State, for having brought forward such a laudable piece of legislation aiming at promotion of avenues of higher education — an area in which they lack the opportunities now — amongst the tribal population in India. While expressing my satisfaction over this Bill, I would also like to point out one shortcoming, Sir, on the part of the UPA Government. The main focus of the Traditional Forest Dwellers Act was the tribal people. But that Act has not yet been implemented. There hasn't been any notification even in regard to that Bill. Merely the creation of a university will not help. If their livelihood, their culture, their ways of life are not protected and preserved, mere education will not help. That is why I reiterate the demand that the Traditional Forest Dwellers Act should be implemented by the Government immediately, without any further loss of time. Sir, I think the Government must take a comprehensive view for the development of our tribal population focussing on their economy, ways of life, their culture, their means of livelihood, their education and so on. Sir, the rate of literacy amongst the tribal population is only 47.1 per cent as against the national average of 68.81 per cent.

Sir, in Clause 5, it is mentioned that adequate seats shall be reserved for STs. What do we mean by 'adequate'? Though it sounds nice, I should say it is somewhat undefined. The term 'adequate' is somewhat undefined in the Bill. I would like the hon. Minister to clarify it. My demand is, the demand from my party, the Communist Party of India (Marxist) is, because it is a Tribal University, there the students will be coming from the tribal

section, they should not be denied of education. Nowhere should they be denied of education. That assurance I would like to have from the hon. Minister. When the admission percentage for the general category is about 10, in the case of STs, both boys and girls combined together, it is between three to four per cent only.

Sir, as far as women reservation is concerned, it is written in Clause 7, "...nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making special provisions for the employment or admission of women,..." That provision is there. But, it is in indirect sense. That should be told affirmatively that 'yes, for the women, their rights, their scope, their opportunities should be guaranteed by way of keeping provisions for them. Sir, as regards teachers, I admit the approach of the hon. Minister is a secular approach. All nationals should have the interest in the university for teaching. But, here we are approaching the tribal people; we are focussing on some sort of ideology. Some sort of a realistic approach we are making to them. So, we should have as many teachers as possible from the tribal communities. The students will be more and more apprised of education. They will have some free access to these teachers. At the same time, they will have some intimate relationship with the teachers. The teacher is an ideal to the students. So, that thing should remain in the perspective.

Sir, coming to Clause 8, here it is written about schools in different areas. The schools should have separate authorities. Sir, I would like to quote what is written in Clause 8. It says, "Every student of the University other than a student who pursues a course of study by distance education system, shall reside in a Hall or hostel or under such conditions as may be prescribed by the Ordinances." But, who will finance the hall or hostel, etc.? Shall we leave it to the goodwill of the local authorities, to the State Governments like this? As regards the interests of these tribals, the funding should be guaranteed by the Central Government. That thing I would like to mention here. As regards the different bodies of the University, I think, the approach is like that. Most of them will depend on nominated persons, etc. There are two things. When somebody will be nominated to the university, representation from all zones and all sections should be ensured, as far as practical, so that the university does not become a local university because it is a national university and that perspective should be kept in mind.

Secondly, the student representatives in the elected student bodies should have the access to the committees and the democratisation of these local committees should be done. This is one of my demands to the hon. Minister. As far as the student is concerned, the system of democratisation should be ensured. But, in the Bill, there is no such provision.

The university should have regional centres, but the regional colleges would be established. But who will fund those regional colleges? On whom would this depend? Funding should be from the Centre because we would like to give provide education to the tribal people. We would like to give guarantee but finance is the main factor. Wherever these colleges are being erected or constituted, there should be a guarantee of funding from the Centre.

We are having so many autonomous district councils. There are provisions in the Fifth Schedule and the Sixth Schedule. The autonomous district councils under sixth schedule enjoy some sort of autonomy. I would like to request the hon. Minister to make it a guarantee in the Bill that the university would maintain some coordination with the autonomous district councils.

Sir, about naming of the university, as the hon. Member has raised, we have no objection in naming it after Indira Gandhi. We have no objection, but, at the same time, since this is a tribal university and since we have the names of so many tribal leaders who have sacrificed their lives for the Independence of the country......

श्री उदय प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश): सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को फिर भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम आपने श्रीमती इंदिरा गांधी जी का नाम दिया, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, देश की पहली महिला प्रधान मंत्री रहीं। आपने यह अच्छा किया कि चौथी पीढ़ी का नाम सजेस्ट नहीं किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ।

SHRI MATILAL SARKAR: My request is, whenever you form the regional centres or State-based centres, that thing should be kept in mind so that the regional tribal leaders, who have contributed so much for the country and for those sections of people, the college or the regional centre should be in their name.

I would like to conclude my speech with a very important saying of our World Poet, Rabindranath Tagore and I will recite it in Bengali and, I think, the Hindi-speaking people would understand Bengali also. There was a heroic struggle in our State during the later period of 40s. That is called Jana Shiksha Samiti. It is Jansikhsa Samiti in our State. There are veteran leaders like Dashrath Deb, Sudhanya Deb Barma, Hemanta Deb Barma, etc. who are the pioneers. They sacrificed their youth and they totally contributed their years to this Jansikhsa Samiti. In the first manifesto of that Jansikhsa Samit they told, "*Eisab mura mlana muka mukhe ditey habey bhasha. Eisab shuska shranta bhagna bukey dhaniya tulitey habey asha.*" It means, we must give power of voices to those who are deaf and dumb, who cannot speak, or who cannot have the power of representation. We must give power of voices to them. Rabindranath Tagore told it. *And Esab shuska shranta bhagna bukey dhaniya tulitey habey asha,* those who are faded, those whose hearts have dried up, those who have no courage and boldness, hopes should bestow on them. We must rouse them up. That was the saying of Rabindranath Tagore. While we are having this Bill...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PRASANTA CHATTERJEE): Not with false promises. Not with false promises.

SHRI MATILAL SARKAR: Tribals are the people who cannot speak, they are the people who do not have so much strength in their hearts, they cannot express themselves, they cannot express their agony, therefore, we must stand by them and encourage them. I think this Bill will go a long way in cherishing these demands. Thank you.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बहुत अच्छा बिल लाए हैं और मैं उसका समर्थन करता हूं, लेकिन समर्थन करते हुए मैं अपने बुजुर्ग मित्र श्री श्रीगोपाल जी को याद करता हूं, जिन्होंने अभी कुछ कहा। उन्होंने एक फिल्म के बारे में कहा कि एक फिल्म बनी थी - *राम तेरी गंगा मैली*। उस फिल्म का उद्देश्य गंगा को मैला करना नहीं था, बल्कि उसमें उन्होंने गंगा की पवित्रता का जो आभारा था, उसके बारे में दर्शाया था। तो, फिल्म बनाने वाले का भी गंगा को अपवित्र करने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए उनकी जो भावना है, उसी भावना के तहत मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो इंदिरा गांधी जी का नाम गरीबों में, पिछड़ों में, दलितों में, आदिवासियों में था, इसलिए यूनिवर्सिटी बनाने के समय उनके नाम से कहीं ऐसा न हो कि यूनिवर्सिटी में आदिवासी तो आएं नहीं, बल्कि और लोग उसमें दाखिल हो जाएं। इसलिए गोपाल जी का जो मतलब था, उसी मतलब के संदर्भ में मैं आपको यह कहना चाहता हूं।

यह सही है कि आपने जो जगह चुनी है, वह आदिवासियों की जगह है, अच्छी जगह है और वह यूनिवर्सिटी बनाने लायक जगह भी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के नाम से यूनिवर्सिटी तो आपने बनाई है, लेकिन हिन्दुस्तान में कितने ऐसे आदिवासी हैं जिनको कि यूनिवर्सिटी में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। कितने आदिवासी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं? यह मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप सैंट्रल स्कूल के मालिक हैं, सैंट्रल स्कूल में कितने आदिवासियों को आपने कोटा दिया है? वह स्कूलिंग है, आपने हम लोगों को दो बच्चों का एक साल का कोटा दिया है कि साल में दो बच्चों को आप सैंट्रल स्कूल में भर्ती कर सकते हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में वही लड़का जाएगा, जो स्कूल का examination pass करेगा, स्कूल में पढ़ा होगा। आपने कहां इतने अच्छे स्कूल खोल रखे हैं कि इन बच्चों के यूनिवर्सिटी में जाने की बात आएगी? कहां आपने इन स्कूलों को इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया है, कहां आपने आदिवासियों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया है ताकि वे कालेज में दाखिला ले सकें? इसलिए श्री श्रीगोपाल व्यास जी को शक जरूर है कि कहीं इस नाम के आगे कोई मैलापन तो नहीं आएगा? इतने अच्छे और पवित्र इरादे से आपने इसको खोला है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन इस बिल में आपने कहीं भी यह ज़िक्र नहीं किया है कि जो लोग एक हॉल के नीचे रहेंगे, जो लोग होस्टल में रहेंगे, उनको कुछ भी पैसा नहीं देना होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी लोग बहुत गरीब होते हैं। अभी भी आप रांची के इलाके में चले जाइए, कालाहांडी के इलाके में चले जाइए, अभी भी वहां गरीबी बहुत है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, वे नंगे घूमते हैं, इसलिए नहीं कि उनको नंगे घूमने और आधे कपड़े पहनकर घूमने का शौक है। आदिवासी लोग जंगलों के अंदर रहते हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, अभी तक वे हड़िया पीते हैं, अभी भी वे दो-तीन दिन में एक बार खाना खाते हैं, एक बार चावल खाते हैं, अभी तक वे बहुत तकलीफ में रहते हैं। उनके बच्चों की स्कूल की एजुकेशन नहीं हो पाती है, प्राइमरी एजुकेशन नहीं हो पाती है। अगर उनकी प्राइमरी एजुकेशन नहीं होगी, हॉयर एजुकेशन नहीं होगी, तो आदिवासियों के नाम से केवल यूनिवर्सिटी खोल देने से काम कैसे चलेगा? मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इस पर भी हमारे मंत्री महोदय को जरूर विचार करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहकर, अपनी बात समाप्त करूंगा कि अभी हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, खास करके बिहार में एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है - पटना यूनिवर्सिटी। आज तक कई बार हम लोगों ने इस बात के लिए जोर लगाया कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी करिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी करने से कोई खास फायदा या नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक मर्यादा मिल जाती है, एक उपलब्धि मिल जाती है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह ट्राईबल यूनिवर्सिटी जो आप स्थापित करने जा रहे हैं, इसमें आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें आदिवासियों का जो दाखिला होगा, उनको यह बता दीजिए कि इस दाखिले के लिए उनको कोई पैसा नहीं देना होगा, उनको होस्टल में रहने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा और उसमें एक बात यह भी होनी चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी में आदिवासियों को ज्यादा preference मिलेगी, दाखिले के लिए ज्यादा preference मिलेगी, हालांकि आपने कहा है, लेकिन बहुत खोलकर नहीं कहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन सारी बातों का ख्याल रखा जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, thank you for permitting me to speak on this Bill. I rise to support this Bill.

Sir, before going into the details of the Bill, I was listening to my senior colleague, Shri Uday Pratap Singh, who was mentioning some names. Today, it is a strange coincidence that the Lok Sabha is discussing the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology and we are discussing the Indira Gandhi National Tribal University. How can we expect other names when the Congress (I) Party is at its helm of affairs? It is no more the old Congress of Mahatma Gandhi. The Congress has now become Indira Congress. We should accustom ourselves with such names. I have no objection for this.

Sir, the proposed Bill is expected to help the tribal students. As Shri Rajniti Prasad

said how many students are reaching to university level and at what stage they are dropping out from education. There should be some study on this in detail. As per the information available with me, most of the dropouts are tribals. So, the Government should come out with a special comprehensive legislation to help the tribals like education, health, infrastructure and employment. Piecemeal legislations, though they are helpful to some extent, will not suffice. There should be a comprehensive approach on the part of the Government of India. The Tribal Dwellers Bill was referred to the Joint Committee. I was a Member of that Committee. But, for some strange reasons, despite having passed that Bill, that has not been implemented so far. I would like to request the Government to show some interest in the implementation of the Tribal Dwellers Bill too.

As far as the present Bill is concerned, I expect that it would not just add to one more university. This university should be a unique one. Unique, in the sense of appointments, imparting education, infrastructure, etc. As far as the Statements of Objects and Reasons is concerned, there is mention of my own State, Andhra Pradesh, Chhatisgarh, Jharkhand, Rajasthan and Gujarat. The university, subject to the statute, shall have power to establish, at least, one school in every regional centre. But no time limit has been mentioned for that. There should be some time bound programme in selection of place to locate a school. Though it is mandatory to open one school in every region, but there should be a time bound programme, otherwise it will take a lot of time, like the Tribal Dwellers Act. I request the Government of India to have a time bound programme for establishing regional centres. Why I am saying so is because we have had an experience of the Maritime University going to Tamil Nadu; the Tribal University going to Madhya Pradesh; the Rajiv Gandhi Institute of Petroleum Technology to Raibarely, U.P. The State of Andhra Pradesh is being given a raw deal during the UPA regime. We have not been able to get any institute or university or any establishment pertaining to the Government of India. Under the UPA regime, Andhra Pradesh is being given a raw deal. I don't know why this discrimination is there against my State.

As far as appointments are concerned, the President of India shall appoint the Chancellor and the Vice-Chancellor of the university. Like that, so many appointments are centralized. I request the hon. Minister to clarify the selection procedure for the Professors, right from Chancellor and the Vice-Chancellor. There is some ambiguity in all these appointments. Otherwise, it will become a rehabilitation centre for the people, who are close to the ruling dispensation during that time.

The other aspect, on which I need clarification, is the financial aspect. I would request the hon. Minister to provide us the financial data. The Financial Memorandum contains nothing, except saying that a total of Rs. 60 crores is estimated, and Rs. 12 crores is recurring expenditure. We need a financial data so that we could come to know about the establishment of schools at regional centres, otherwise it will remain as the University of Madhya Pradesh, no centre will come up in the other parts of the country. Though I appreciate the establishment of university, yet I have objection to its place of establishment. Also, the appointment procedure of the Chancellor, the Vice-Chancellor and others may also be clarified.

With these words, I support the Bill.

श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा (मध्य प्रदेश) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय में ही अपनी बात कहूंगा। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में हमारे एक सदस्य ने तमिल भाषा में अपना भाषण

दिया। इतने मीठे और इतने अच्छे शब्दों का उन्होंने उपयोग किया कि मेरे मन को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। इसलिए मैं इस माननीय सदन के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे अपनी मातृभाषा में यहां बोलेंगे तो सबसे अच्छा काम होगा और वह हिन्दी के लिए भी बहुत उपर्युक्त वातावरण को तैयार करेगा महोदय,

जिनकी लाशों पर आज़ादी आयी,
उनकी याद बहुत ही गहरी लोगों ने दफनाई।

यह बात सही है। हमारे इतिहास में, ऐसे बहुत से नाम यहां गिनाए हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण दिए, लेकिन उनको पूरी तरह से भूलाया जा रहा है। यह भूलाया यह मेरा पहला निवेदन है। न हो, इस बात की भी हमें चिंता करनी चाहिए। दूसरा, इंदिरा गांधी जी के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रखना आपत्तिजनक तो नहीं है, लेकिन झारखंड के बिरसामुंडा, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्या हम ऐसे महापुरुषों के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम नहीं रख सकते? इस पर हमारे मंत्री महोदय को अवश्य विचार करना चाहिए। महोदय, यह जो बिल है इसमें अनेक स्थानों पर "परिनियम में विहित किया जाए" कहा गया है। ये "परिनियम" कब बनेंगे, और "विहित किया जाए" - वे रूल्स कब बनेंगे? एक-एक, दो-दो साल हो जाते हैं लेकिन कानून पास होने के बाद जब रूल्स नहीं बनते तो वह कानून बिल्कुल बेकार हो जाता है। अभी एक साल पहले फॉरेस्ट बिल यहां पर पास हुआ लेकिन उसके नियम आज तक नहीं बने। हमारे वनवासियों को, जनजातीय भाइयों को जो अधिकार मिलने चाहिए थे, पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया लेकिन एक साल हो गया है, आज तक उसके रूल्स नहीं बनें। इसलिए इसकी भी कहीं ऐसी दुर्गति न हो, इस बात की चिंता हमारे मंत्री महोदय करेंगे तो कोई शक नहीं है कि यह और अच्छा साबित होगा। आपने जो स्थान का चयन किया है, वह बहुत ही अच्छा स्थान है। नर्मदा का उद्गम स्थान है, आदिवासी क्षेत्र है, वनवासी क्षेत्र है। लेकिन जैसा अभी व्यास जी ने कहा कि वहां आवागमन के साधनों के हिसाब से केवल रोड के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए हमें उस पर भी विचार करना होगा कि रोड इतनी अच्छी हो कि यह दूरी बड़े आराम से तय हो सके। अगर कटक रेलवे लाइन से जोड़ा जा सकें या हवाई पट्टी बना सकें तो अच्छा होगा। इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। महोदय, हमारे देश में अनेकों विश्वविद्यालय हैं जिनकी आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है, बहुत बुरी हालत है। हमारे ऐकेडेमिक स्टाफ और विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता है। इनमें एक प्रकार से आपस में दुश्मनी है। इसको पाटने की कोशिश करनी चाहिए। यह कभी-कभी इस कारण से होता है कि वहां पर राजनैतिक हस्तक्षेप होने लगता है। शिक्षा में किसी भी प्रकार से राजनैतिक हस्तक्षेप न हो, इस बात की भी व्यवस्था अगर हम करेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। महोदय, जैसा मैंने आपको बताया कि इस विधेयक में "विहित किया जाए" कम से कम 25 बार है। यह "विहित" होना बड़ा कठिन काम हो जाता है इसलिए स्पैसिफिक रूप से अगर कानून में वहीं डाल दिया जाता कि कोर्ट में इतने अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत रहेगा, कार्य परिषद् में इतने प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिशत रहेगा - यानी संख्या अगर तय होती है तो फिर नौकरशाही को यह अधिकार नहीं मिलता कि वह मनमाने तरीके से उसमें कुछ कर सके। महोदय, जो बातें यहां पर बतायी गयी हैं, मैं समझता हूं कि बहुत अधिक कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, इन्हीं बातों का ध्यान हमारे मंत्री महोदय रखेंगे। मैं फिर से इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं। मध्य प्रदेश में आपने पवित्र स्थान पर इसे बनाने का निर्णय लिया है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। एक बात मैं यह जरूर पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश की सरकार से भी आपने कुछ विचार-विमर्श किया है क्योंकि इसमें सैकड़ों एकड़ जमीन लगेगी - क्या उससे भी विचार-विमर्श हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो उससे विचार-विमर्श करके आप इस स्थान को तय करेंगे, ऐसा मेरा अनुरोध है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. RADHAKANT NAYAK (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, first of all, I stand to support this Bill wholeheartedly. I thank and also congratulate the Ministry of Human Resource Development, particularly, the Minister of Human Resource Development, for having brought forward this historic Bill in this country. The hon. Minister is known for his vision and mission for the tribes, the *Dalits*, the Other Backward Classes as well as the Minorities of this country. He is also well known as the champion of these depressed

and discriminated people of the country. I express my gratitude to him for this great initiative which he has taken to improve the educational status of the tribal people of this country much appreicated by these sections of the people for his unrelented struggle, for their welfare, development and ameliorating their conditions. Therefore, Sir, while thanking him on behalf of the backwards, the oppressed and the excluded people of this country, I have a few words to speak on their behalf.

Sir, this Bill is, definitely, a revolutionary Bill. This is a milestone in the history of the tribal people of this country. For the first time, they are going to have a knowledge-house for themselves. So far, they have lived in history, they are being spoken as pre-historic people, but from now onwards, they are going to have a new youth dormitory. For them, Sir, the youth dormitory is the University at the village level that educates them how to manage their society, how to manage their family systems, what the rules and regulations of their customs are, what their ancestors had taught, all these were being taught at the village level by their elders, or ancestors. But, today, for the first time, they are going to have a place for reflection, for thinking as well as for action in the direction to which this Bill will be guiding them. It is in that context, Sir, I am extremely grateful to the hon. Minister for creating a new history, a new citadel of learning for them, to enable them to contribute to this country, to its development, which they have been doing for centuries in the past.

Sir, some of our Members spoke that the tribal people are not indigenous at all in this country. According to them, all Indians are indigenous. But even not admitting, but even stating for the sake of stating, it must be said that in this country, there are people who are more indigenous than others. We are at different stages of development, and at different levels of empowerment. And, because of that, it is absolutely wrong to say that the tribal people are not some Hon'ble Members stated that the tribal people are not indigenous and that all Indians are indigenous. But, this is disproved by the ancient *shastras* of this country. Century agc wherein the tribal people have been identified as *asuras idaityas* and what not. There are a large number of epithets according to which they have been described. Not only *shastras* but also our history, also archaeology describe this. How can we deny now, Sir? These in facts have the history not been written by individual persons, those who were personally interested but are inscribed in objective records, that brings out that the tribal people have their own identity, they have their own culture, they have their own civilisation which, by process of history, by the invasion of Aryans, has been somewhat destroyed. But, even till, today, the tribal people have maintained themselves against all the ravages of the forces which are man-made like the caste system, like so many other evils that have been imposed on the Indian nation. Through all this they have survived and maintained their identity. They have also maintained their ethnicity. Therefore, Sir, it is absolutely wrong rather preposterous to say that the tribal people are not the indigenous people and that they are not the aborigines of this country. The relationship of migratry Aryans with the native is not new to this country. The history of almost all the different nations and countries are replete with processes of migration. There are indigenous people in Australia, in Canada and in various other countries. And it is certainly a fact that in our country also we have indigenous people and we should not deny their existence and their right to live and survive.

Sir, some of our friends here have mentioned that the United Nations has passed a resolution saying that the Tribes are not the indigenous people, which is not true, to the best of my knowledge. There may be some claims and counter-claims. Some people

from India might have approached the United Nations saying that Tribes are not the indigenous people and that, in India, we don't have any indigenous people; they might claim to be so. But the United Nations is yet to pass any resolution to this effect. I am sure, Sir, the United Nations, particularly the ILO Conventions 169 and 107, speak of the tribal and which gives special rights to the tribes and which stands ratified by Government of India. The word 'tribal' is specifically mentioned in the ILO Convention 107. Therefore, I would submit that it is not correct to co-opt and destroy some people. Of course, we believe in an integrated nation; there is no doubt about it. But in the name of integration, we cannot dilute or destroy a particular group of people by dubbing them as not being indigenous, or saying that their supporters are foreigners or the Latter are anti-nationals. I am extremely sorry that some responsible Members have made such remarks.

Sir, there are so many other issues and concern which I could bring to your notice. But I am sure the hon. Minister has taken note of the concerns of this House on a number of raised issues like the feeder system of education like schools and different colleges. Otherwise, this university will be there only on paper.

Sir, there are a number of other issues to be thought over like what should be taught in this university. As I have said, university is a storehouse of knowledge and, therefore, unless the knowledge system is intrinsic to a particular culture, a particular tradition, the university will remain only on paper. It is in that context that I submit to the hon. Minister to find out how exactly the feeder system of education comprising different schools and colleges and even primary schools, work in formulating certain ideas about the tribal people, about their civilisation and culture and about the existence of a university for them where they could look up to their future, where they could formulate a vision for themselves.

Sir, there are a number of other issues which are not solely concerned about education. We lack information and ideas which have emanated after Independence. I shall draw your attention to the Tribal Panchsheel which was enunciated by Pandit Nehru himself, along with a famous anthropologist, Verrier Elwin. This Tribal Panchsheel created history in our country. It talked about how we should not over-administer the Tribes, how we should not interfere in their culture, how we should not ground very complicated programmes for their further development to be along then achieved.

Sir, tribal people are by nature very simple; not only that, they are very honest and their integrity is completely above board. Their society is a highly egalitarian one where even men and women are equal. All these issues were discussed not only during the Constituent Assembly debates, but also when the Tribal Panchsheel was adopted. Therefore, I would suggest that the principles enunciated by the Panchsheel should be revived even now; it is not too late Hon'ble Minister, Tribal Affairs also may kindly note.

After the tribal Panchsheel, we had a number of commissions. I recollect the Dhebar Commission which was a very, very important commission which went into the whole gamut of issues that engulfed the tribal people of India. There was also a special Committee, namely, Shilu Ao Committee. That Committee also went into various issues like how these people are exploited and how their resources are expropriated. They are left with nothing today. They have not only lost their original sovereignty, but also everything that they had. Their contribution to the Indian development and to the freedom movement also have been totally relegated to the background. All these issues, Sir, are very, very

essential even at this stage to recollect and rewrite modern history of India and then to work upon it. Just as was done, some time ago, that a special Committee was established for the Muslim community, I would suggest to the hon. Minister for his consideration, why not the Government immediately set up a small committee to own their present state of the tribal? Some of my colleagues have already said about the present conditions of their literacy, poverty situation, infant mortality rate, etc., which are far below those of the non-tribal people. Therefore, it is time that the Government sets up quickly a committee to immediately report to the Government as to what steps should be taken so that their growth is not stunted, they can come to the mainstream and they will be equal to the rest of the society.

I would submit, of course, to the Minister for Forests, who has just gone, that the way the forest resources and the mineral resources have been exploited, it has all the way gone against them and has been detrimental to their development. They do not have a house. They have become parasitical today. In Delhi, if you go to any construction site, if you go to any slum and if you ask any beggar, you will meet a tribal who has been rendered homeless and who has been thrown away from his or her home and he has come away here. The mineral resources supported them for a long time, but were taken away from then. Forests also supported them but we have destroyed those forests. So, it is time to apportion some shares of mineral resources to them where they had been located. Some of the States like Madhya Pradesh, Orissa, Jharkhand and Chhatisgarh are all mineral belts and we have been exploiting them, which causes total tribal extermination. Therefore, Sir, the establishment of a University in these areas will definitely create a history for them. But, at the same time, we also have to find out how exactly and what exactly the economic programmes that should be grounded for their survival and growth in the proposed Central Universities. Sir, one aspect of it is this. Today, the entire Ayurvedic system is, more or less, dying. The Allopathic system is, to a great extent, destroying the traditional system of medicine. Sir, the other day, I met some doctors of China who said that your tribal medicine is the best medicine that we have learnt. Heun Tsiang, the great traveller who came from China, mentioned about tribal medicine which was in vogue in this country. He had a small injury — a dog bite. Then it was cured by a tribal person. Sir, there is so much of knowledge not only in regard to health, but also of education for development of their own economic status. They have great system of knowledge. So, it is time to explore them. Therefore, this University should have a separate department on tribal research. So, far, all the tribal research in this country has become, more or less, a luxury item, because some scholars, because they want immediate promotions, go into tribal education and even for tribal research. Therefore, I would be very grateful to the hon. Minister if this University could give a special focus on the tribal research not only about their growth and development, economic and social programmes, but also about their history, culture, tradition and knowledge systems which governed their society in the past. With these words, Sir, I support the Bill again and thank the Ministry and the hon. Minister for having brought this Bill. Thank you.

DR. BARUN MUKHERJEE (West Bengal): Thank you, Sir. At the very outset, I would heartily congratulate the hon. Minister for Human Resource Development for bringing this Bill and taking initiative for the development and growth of the vast tribal population of our country. But, let me be excused to express some of my apprehensions in this respect. What I mean is that about a year ago, in this House, when we congratulated the concerned Minister for bringing the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Bill, we had very high hopes about it. We

congratulated the Minister at that time, but, unfortunately, all these hapless tribal people are still awaiting the privileges or benefits of the Bill because these rules have not yet been framed. As I expect that that will be done soon, similarly, I hope that there will not be any such obstacle in implementing the provisions of this Bill, as is dreamt by hon. HRD Minister. As he has taken pains to bring this Bill, we hope that it will be implemented as early as possible. Before I highlight a few clauses, let me quote a line from a poem of Shri Rabindranath Tagore. It is a line from his poem while addressing the highest elite of the society. The Poet says in Bengali which it means that the people whom we are keeping at the back will eventually pull us down or pull us back. That is the message from the poet. I think, it is high time that we cannot keep the tribal population of our country aside and keep them at the back. It is a very welcome step towards upliftment and development of tribal people. So, once again, I congratulate the hon. HRD Minister for it. I hope the hon. Minister will give a little clarification regarding syllabus of the courses that should be taken up in the University. I think, there may be a line of demarcation about these courses. Does this Bill aim at opening any scope for higher education for the tribal students or is it a University for higher research about this vast tribal tradition, their literature, their architecture, and all these things?

[THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN) in the Chair]

I think, there should be a combination of both because if any tribal student is being admitted to this University, I think, he should have some scope, and, at the same time, the general education should be there along with some particular emphasis on tribal aspects. As you know, presently, in many of the Universities, there is scope for taking specialised subjects also. Suppose, in Kolkata University, students of Bengali literature also have the scope to take up a special paper on, say, folk art or folk literature at the post-graduate level. Scope is there. So, I would like to ask whether it would be only limited to that or post-graduate students of the University would be allowed to take special subjects or special papers on these tribal aspects. These are the points, which, I think, if clarified a little more, will be greatly helpful for future course of action.

With regard to admission criteria, it should also be clarified whether the tribal people who are not getting enough opportunities of getting admission in various Universities will be given preference or not, or, in what way it will justify the words 'tribal university'. So far as admission criterion is concerned, I think, that also require some sort of clarification.

I would like to mention a few other points. In section 8, it has been clearly stated that every student of the University shall reside in a hall or hostel or such conditions as may be prescribed by the Ordinances. I think, thereby, it means that it would ideally be a residential university. In that case, a very pertinent thing that we should consider is, many of the students coming from the tribal families are not having sound financial background, to bear the hostel fee and all other things. If these things are not subsidised, I think, the advantage will be taken by the richer people of the society only. So, if we want to make a provision for residential University, there should also be a provision for low or subsidised rates of hostel fee. (Time-bell)

Then, Sir, in the Statement of Objects and Reasons, there is a mention about high concentration of tribal population and names of some of the States like Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, etc., are there. This is all right. But, I think, you should also consider including West Bengal in the list because high concentration of tribal population

is there in West Bengal also. So, they should also have some preference like the other States where a good number of tribal population is there.

I am sorry to refer to one aspect of the Bill where it has been mentioned about ...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude it now.

DR. BARUN MUKHERJEE: Sir, I am mentioning about it because, I believe, that all these provisions will reach many foreign countries and what will they think about it? As it is stated here, "At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration to the effect that he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor and other authorities of the University". Sir, I think, it is not a befitting proposition for this University that is going to be set up. It will lead to a lot of controversy if the students are asked to give some sort of declaration right at the time of admission. It think, at the moment, this practice is prevalent nowhere in our country. Moreover, when it will go to the other foreign Universities and the learned society of the world, they will think something (Time-bell) awkward about it.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Please conclude it now.

DR. BARUN MUKHERJEE: I am just concluding it, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIAN): No, no, you have taken nine minutes. You can take one more minute.

DR. BARUN MUKHERJEE: Sir, regarding disciplinary aspect and all these things, I think, it will be better to be liberalised about all these things. There is no provision for students union. The students will be guided only by the orders coming from the high-ups in the institution. I think, you must be knowing it better that though all this is in the name of maintaining discipline, this will go against discipline in the academic institutions. Let there be some democratic standard while we are going to set up such a university.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): That is enough.

DR. BARUN MUKHERJEE: Again, I congratulate the hon. Minister on bringing this Bill and hope that it will be implemented at an early date and some of the suggestions made not only by me but also by other hon. Members will be taken into account by the hon. Minister. With these words, I conclude. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (प्रो पी.जे. कुरियन): श्री बशिष्ठ नारायण सिंह। आप तीन मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जब हमारे और साथी बोल रहे थे, आप बहुत उदार थे, लेकिन जब मैंने बोलना शुरू किया है तो मैंने देखा कि आप की उदारता में कुछ कमी आ गयी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो समाज के दिलो-दिमाग को, देश के imagination को कैच करते हैं, जो meaningful होते हैं और far-reaching consequences वाले होते हैं। महोदय, मैं इस विधेयक को भी, जोकि माननीय शिक्षा मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी ने सदन में प्रस्तुत किया है, उसी के तहत मानता हूं। महोदय, दो-तीन टिप्पणियां समय को लेकर और नाम को लेकर आई हैं। समय के ऊपर मुझको कुछ नहीं कहना है। यदि कोई अच्छा काम हो, चाहे वह चुनाव के वक्त हो या न हो, उसका स्वागत होना चाहिए और इंदिरा गांधी तो इस देश की महत्वपूर्ण नेता रही हैं। उन्होंने देश को निर्देशित किया है और देश की सब से बड़ी पार्टी का नेतृत्व किया है, इसलिए अगर उन के नाम पर कोई इंस्टीट्यूट स्थापित होती है, तो कोई व्यक्ति आपत्ति कैसे कर सकता है। लेकिन उनके नाम पर तो बहुत सी इंस्टीट्यूट्स हैं, अब जब एक इंस्टीट्यूट और बढ़ जाए तो इस के बदले अगर किसी महत्वपूर्ण आदिवासी पर्सनलिटी के नाम पर यदि इस आदिवासी विश्वविद्यालय का नाम रखा जाता तो मुझे लगता

है यह बिल ज्यादा logical दिखाई पड़ता और नाम के मामले में इसका औचित्य ज्यादा न्यायपूर्ण दिखाई देता। परंतु फिर भी मुझे कुछ कहना नहीं है। महोदय, मैं और दो-तीन बातें कहना चाहूंगा और चाहूंगा कि जब मंत्री जी जवाब दें तो उस के ऊपर विशेष रूप से प्रकाश डालने का काम करें।

महोदय, सर्व-शिक्षा अभियान चलाया गया है, मैं इस में यह भी जोड़ता हूं कि यह विश्वविद्यालय सर्व शिक्षा अभियान को एक उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने के लिए लाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब है, देश के हरेक आदमी को शिक्षा मिले और यह बिल देश के सबसे कमजोर तबके के लिए है। महोदय, यह बिल जंगलों में रहने वाले व्यक्ति को शिक्षा देगा और यह सर्व शिक्षा का उत्कृष्ट स्वरूप होगा।

महोदय, मैं विश्वविद्यालय के स्वरूप और विश्वविद्यालय की अन्य बातों पर बहुत ज्यादा अपनी बातें नहीं रखूंगा, लेकिन चूंकि अभी तो यह निर्माणावस्था में है और वह कल किस ढंग का होगा, इस पर बहुत ज्यादा कहने की मुझे जरूरत महसूस नहीं हो रही है। लेकिन मैं मंत्री जी से एक बात जरूर कहूंगा कि इस देश में बहुत तरह के विश्वविद्यालय हैं और यह विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन व रिसर्च के लिए लाया गया है। यह विश्वविद्यालय उन लोगों के लिए लाया जा रहा है जोकि शिक्षा से वंचित हैं और जिन्हें आज तक समाज के समान नहीं लाया जा सका है, इसलिए किन-किन बातों में यह आदिवासी विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से अलग होगा, इस की व्याख्या स्पष्ट व विस्तारपूर्वक मंत्री को करना चाहिए। साथ ही इस विधेयक की सफलता बड़े पैमाने पर हो, इस के लिए भी मंत्री जी को बहुत कार्य करना होगा। यह उनके कुछ प्रयास पर भी निर्भर करता है और राज्य-सरकारों के सहयोग पर भी निर्भर करता है। जिन राज्यों की बात की गई है, चाहे वह आंध्र प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, उन राज्यों की राज्य सरकारों को ऐसे कदम उठाने होंगे, यानी अपने राज्य में आदिवासी छात्रों को ऐसी शिक्षा देने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि अधिक से अधिक आदिवासी छात्र स्कूलों में जा सकें, टेक्नीकल एजुकेशन पा सकें, उनको हायर स्टेज का विद्यार्थी विकसित किया जा सके और तभी इस विश्वविद्यालय की उपयोगिता बढ़ सकती है, तभी लोगों के बीच में इस विश्वविद्यालय की सार्थकता साबित हो सकती है।

महोदय, हम यहां यह जरूर कहना चाहेंगे कि चूंकि आपने नियमावली बनाई है, इसके लिए सब कुछ बनाया है, मगर इस विश्वविद्यालय में आप रिसर्च के मामले में कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं और डिसिपिलिन की व्यवस्था विशेष प्रकार करें, ताकि इस विश्वविद्यालय में बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जाने वाले विद्यार्थी ट्रेनिंग पाएं। कम से कम आप के द्वारा इन राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाए और उनके बीच में बराबर कन्सलटेशन किया जाए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों के अंदर यह प्रवृत्ति जगाई जाए, आदिवासी बच्चे स्कूलों में जाने के लिए बाध्य हो जाएं, स्कूलों में जाने के प्रति उनकी रुचि अधिक बढ़े और अभिभावक भी अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने का काम करें, यह बिल तभी सफल हो सकता है।

महोदय, यह देश नदियों का जंगलों का अनेक संप्रदायों तथा देशों का है और जंगल के साथ अगर यह सरजमीं जुड़ जाएगी, तो भारत भारत बन जाएगा। आप जो यह बिल लाए हैं, यह बिल आप उन वर्गों के लिए लाए हैं, जिन वर्गों के लिए हमारे आदर्शवादी, गांधी जी से लेकर के जो सारे हमारे नेता रहे हैं, उन लोगों ने परिकल्पना की थी "अंतिम आदमी" की, क्योंकि यही आदिवासी समुदाय तो उस अंतिम आदमी के समूह में आता है। चूंकि आप इनके लिए यह बिल लाए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन, यह बिल तभी सफल होगा, जब इसके लिए आपका कंटीन्यूअस प्रयास चलेगा और तभी इसकी सार्थकता होगा, जो इसका उद्देश्य है वह सफल होगा।

महोदय, इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you, Mr. Bashistha Narain Singhji. Now, Kumar Deepak Das. Please conclude within four minutes.

SHRI KUMAR DEEPAK DAS (ASSAM): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. This Bill is for promoting avenues of higher education and research facilities for the tribal people. This is a historical Bill, and on behalf of my party, I support this Bill. While supporting the Bill, I want to raise two, three points for

the consideration of the hon. Minister. Sir, in the Statement of Objects and Reasons of this Bill, it has been stated: "The access to educational facilities for the vast tribal population in the country is very limited and the tribal youth is at disadvantage in higher studies, leading to quite a low educational and economic status of tribal communities. There is high concentration of tribal population in the North-Eastern States, and in the area comprising parts of Madhva Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa, Andhra Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Gujarat. Sir, I am representing the North-East region, and I would like to emphasise that there should be a provision for merit scholarships scheme or any other new scholarships scheme in this Bill so that our poor tribal people get benefited out of this Bill while going for higher education. We need not only more qualified but also highly motivated teachers. In this regard, considering the importance of such matters, there should be provisions for attractive package of perquisites and support for academic activities, coupled with appropriate recognition of the outstanding achievements of those teachers. In this connection, I would like to raise one serious problem that is faced by the universities of our States. The State Universities are facing serious financial crunch, mainly due to the inadequate allocation by the State Governments. The same problem is going on in our State, including the Guwahati University. Due to this reason, recently, the Vice-Chancellor of the Guwahati University had to resign and the entire student community of the State went on strike.

Sir, this grim scenario is further aggravated with the UGC ceiling on Plan expenditure up to three per cent of the total allocation. So, it is time to look into this matter. There is a very unrealistic situation. Therefore, I would like to give one suggestion to the hon. Minister that this University needs additional grants to increase its corpus fund.

With these few words, I support the Bill and I request the hon. Minister to look into these financial problems. Thank you.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): Thank you, Sir. My colleague has already spoken on behalf of our party. I would like to join him and other Members in expressing my deep appreciation of the initiative taken by the hon. Minister in bringing such an important legislation before the House. I think, it is in keeping with many other legislations that we have seen coming from the Minister to protect the basic and fundamental issues of social justice and to deal with myriad inequities that we have seen in our educational system, and I would like to congratulate him for it.

Sir, what is of particular significance in this Bill is clause 4(ii). I would like to draw the attention of the House to clause 4(ii) of this Bill. Among the various important objects of the University, it is stated in clause 4(ii):

"(ii) to disseminate and advance knowledge by providing instructional research facilities in tribal art, culture, tradition, language, medicinal systems, customs, forest-based economic activities, flora, fauna and advancements in technologies relating to the natural resources of the tribal areas".

Why I would like to draw the attention of the House to this very important clause is that, in a way, it challenges, in a significant manner, certain efforts by dominant sections in our society to impose what they consider civilisation norms on the Tribals and Adivasi communities. These efforts have started in some corners of the country by trying to legally

renaming the Adivasis as Vanavasis. The term "Adivasi" means the original inhabitant of this country. They want the history to be changed by renaming them as "Vanavasis". There is also an effort to change or homogenise myriad aspects of Tribal cultures, the richness and wealth of the Tribal cultures, which, I consider, in a way, extremely detrimental to the pluralistic traditions and cultures of our country, and it happens. Why is it successful in so many tribal areas? Why is it that, today, so many important traditions of democracy which the so-called mainstream civilised India should try to learn from the Tribal communities is not happening? It is precisely because these cultures have no institutional backer.

There is no institutional infrastructure not only to preserve but also to defend, strengthen and disseminate such cultures. In the matter of assimilation, we have seen the destruction of something which is truly civilisational. My colleague, Dr. Naik, has already referred to some very emancipatory attitudes that many Tribal communities have towards women without glorifying it to any extent. There are certain aspects which most definitely the mainstream India can learn from the Tribals about equal status of women. Therefore, what I would like to stress and what I would like to implore the Minister to take into consideration is, how to follow up this important initiative. Then the issue of funds is important. But more important than the issue of funds, the issue of personnel is very crucial. Now we do not know the kind of people who are going to man this University. Therefore, there must be, in the selection process, a transparent procedure to ensure that those who are going to take the leadership in implementing this mandate and charter of the first Tribal Central University in this country, should be the people who abhor the kind of homogenisation that we see in more places of India, who would try and promote the importance of Tribal culture. It is very, very important to have those kind of trained personnel to head the first Central University in this country. Along with this, I would like to stress the importance of regional branches and centres. Therefore, when we set up the Central University, we should have a kind of timeframe in which we should take the initiative from the Central Government, through this university, to persuade the State Governments also to set up such regional branches so as to enable the Tribal students, who may not be enabled or able to go and join the Madhya Pradesh University, to have such branches within their own States.

My last point does not have much to do with the HRD Minister, except that he is a very senior Minister of the Cabinet. I am sure he will agree with me that you cannot accept a right on the one hand and take away a right on the other hand. Where we have accepted and recognised the rights of Tribals in forests, we must ensure that that Act is implemented there. I hope both the Ministers, the Minister of Tribal Affairs and the HRD Minister, will together ensure that there is some comprehensive approach to the rights of Tribals and both these Acts can be implemented swiftly.

श्री भागीरथी माझी (उड़ीसा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को इस बिल को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। आदिम युग से आदिवासी लोग इस देश मे रहते हैं। उनकी जीवन-शैली, नाच-गीत, जंगल-पहाड़-नदी से जुड़ा हुआ है। भारत को आज स्वाधीन हुए 60 वर्ष हो गए हैं। आज यह जो बिल लाया गया है, इसके द्वारा आदिवासी लोगों का कल्चर जरूर आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं। वर्ष 2003 में NDA सरकार के समय में आदिवासी भाषा संथाली को संविधान की आठवीं सूची में स्थान दिया गया था, उसकी उन्नति के लिए सरकार को चिंता होनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि यह जो आदिवासी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, इसमें संथाली भाषा और Ol Chiki के अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि

हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए बहुत से आदिवासी नेताओं ने जैसे Birsa Munda, Sidhu-Kanu ने अपना जीवन दिया है, इन लोगों के नाम पर भी भविष्य में कोई यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Thank you for adhering to the time. Now, Mr. Minister to reply...

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, I would just like to seek two clarifications.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): After the Minister has spoken, you can raise your points. That will be better.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): Sir, I am grateful to the hon. Members for the interest they have taken to comment on this Bill, which I also consider to be of a far-reaching nature and which would have an impact at a time when we will not be here. But, I am sure, the generation, which has been ignored, will come into its own and will make full use of this opportunity that this Bill provides. I know the limitations because in matters like this, there are so many ifs, which, everybody, legitimately, has. But, fortunately or unfortunately, all of them cannot be answered at this time. All I can tell you is that this Bill is not an attempt to gain cheap popularity for any electoral reason nor is it an attempt to create an illusion for any purpose. Nobody knows better than me the hardships which our Adivasi people had to undergo. I come from a predominantly tribal area, and I have seen, life treats them so harshly, and, perhaps, we add to it but don't subtract anything from it. So all this is there. But I think a time comes when we have to lay down the road map for such deprived people with faith and determination. This Government has decided to do that. And, I am sure, all the inhibitions that you might have, with your help, it will be possible to remove them. I must express my gratitude to the Government of Madhya Pradesh for having assured me approximately 300 acres of land to establish this University. Amarkantak is a place which has its unique charm. There are some difficulties in communication, but now the Government of Madhya Pradesh has laid out a good three-lane road, and the railway track, which passes, is hardly 14 kms. from there. In due course, I am sure, it will be available for travel right up to Amarkantak. A university is not merely a work of brick and mortar, especially a university like this. To tell you frankly, I do sometimes wonder whether we have not opened a Pandora's Box. It is quite true that like other universities it will not have the infrastructure but then we have to innovate. We do not need high-rise concrete buildings for it. Similarly, in selecting the syllabus, we will have to be very, very careful. There is no need to replicate one more Central university. In India, there is enough to draw from experience in this regard where we can bring out a syllabus which is both relevant and which also takes care of the future.

A reference has been made to appointments. Well, I know whatever you may do in the case of appointments, there will always be something to be picked at. But, till now, I have chosen not to go through the route, which is the well-established route in the university system, of appointing eminent people to the research committee and then accepting what they have to say without any difficulty. It is not the passing of the buck. But I am sure, if eminent academicians make a choice, I should not try to come in-between. The same process will be adopted there but with an angle that we must have someone who believes in this. Merely having a Vice-Chancellor is not enough. We must have a crusader who will be able to lead that university and establish this university.

Something has been said about the name about which I had said in the very beginning. The name of Shrimati Indira Gandhi comes to me naturally because I have had the good

fortune to see her operating in many of the development activities in the country and, more so, regarding the *adivasis.* Most of the economic routes of freedom that have been made available to the *adivasis* today are the result of her initiatives. A lot needs to be done. But the fact that she took the courage to initiate it itself means much. Therefore, this name was kept. It is no disrespect meant to the other leaders of the tribal population who have made a great contribution to the freedom of our country or in any other respect. We honour all of them. A suggestion has been made that when we name our regional centres, we should adopt the names of such tribal leaders who are there in that area. The amendments moved are regarding Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Adivasi. Scheduled Tribe, of course, is the official legal nomenclature. But in areas where 'Adivasi' word has been used, it is in the general sense because that is what is understood in this country. Therefore, I will request my friend not to press for that amendment. I shall make sure that the Scheduled Tribe word is taken in its correct and full meaning while going about implementing this Act.

Sir, Brindaji has made some observations to which I attach the highest importance. There is no doubt that in the final analysis, this University, if it is able to fulfil its mandate, will have to come out squarely for the dispossessed tribals and against the establishment. And, therefore, I seek the cooperation and the blessings also of all the Members to help in fortifying this University in such a manner that it speaks for the tribals of this country, for their empowerment, for their rights in the forests, outside the forests and the basic thing their right to education as equal citizens of this country. This is all I have to say, and I would like you to pass this Bill.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, actually, the Ministry of Human Resource Development, in reply to a Starred Question said that among the students from 1st standard to 10th standard in Scheduled Tribe areas, there are 80 per cent dropouts. Therefore, there are 20 per cent students who remain there for plus 2 and then for going to the colleges.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no; it has nothing to do with this Bill.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: I am just asking this.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): It has nothing to do with this Bill.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN: Sir, I am creating the ground for putting the question. I want to know from the hon. Minister whether the Government will take or the University will take steps to have a drive for taking the students from the tribal areas itself. They simply publish it in newspapers and say that no students are coming forward for joining it. I want to know whether there will be a drive to find out the eligible students in the tribal areas and make them recruited.

Secondly, even in the job recruitment, the Scheduled Tribe vacancies are not filled up. About 99 per cent posts in all categories were not filled up because the advertisements are not reaching to the tribal areas. Will the Government take the necessary steps so that these advertisements also reach the tribal areas? The hon. Minister is very careful in telling the House that in choosing the Vice-Chancellor or for making appointment to any other post, they will consider according to the Committee. But, I want to know from the hon. Minister whether there will be a preference for the tribal area people, a tribal person who is eligible for becoming the Vice-Chancellor or the Registrar or the head of the

department of different departments or the clerical cadre or even the attendant. Will the tribal people be given priority for these posts?

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, would you like to respond?

SHRI ARJUN SINGH: Sir, there is nothing to add because that is all part of the process and it is in the Bill itself that the reservation for tribals at every stage of recruitment will be taken care of. And, I can only assure the hon. Member that once things are done; he won't have all these question to ask.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): The question is:

"That the Bill to establish and incorporate a teaching and affiliating University at Amarkantak in the State of Madhya Pradesh to facilitate and promote avenues of higher education and research facilities for the tribal population in India and to provide for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

CLAUSE 2:

Definitions

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. Clause 2 has three amendments. Nos. 1 & 2 by Shri Shreegopal Vyas. Are you moving, Shri Vyas? Amendment No.11 by Shri Ramdas Agarwal, not present.

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़) : Sir, I beg to move:

1. That at page 3, after line 13, the following be inserted namely:-

'(*zb*) "tribal" means a member of the Scheduled Tribe included in the Constitutional Orders issued under Article 342 of the Constitution;'

2. That at page 3, line 14, for the bracket and alphabets "(*zb*)" the bracket and alphabets "(*zc*)" be substituted.

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यह तो कहा है कि ट्रायबल का जो ...(व्यवधान)... सर, मैंने जो आशंकाएं व्यक्त की थीं, उनके बारे में एक माननीय सदस्य ने सदन में कहा है और माननीय मंत्री जी इनका ध्यान रखेंगे। मैंने यह कहा है कि ट्रायबल शब्द की डेफिनेशन पूरे एक्ट में नहीं की गयी है, आदिवासी शब्द का प्रयान नहीं किया गया है..। ...**(व्यवधान)**...

ट्रायबल शब्द को परिभाषित करने के लिए मैंने अमेंडमेंट दिया है, जो कि आपकी भावना के अनुरूप है। आप कृपा करके उसको स्वीकार कर लीजिए, यही मेरा निवेदन है। अभी तो इतना ही कहना है।

The question was put and the motion was negatived.

Clause 2 was added to the Bill.

CLAUSE 3:

Establishment of University

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now take up Clause 3. There are two Amendments No. 12 and 13 by Shri Ramdas Agarwal but he is not present.

Clause 3 was added to the Bill.

Clauses 4 to 22 were added to the Bill.

CLAUSE 23:

The Court

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): There is one Amendment No.3 by Shri Shreegopal Vyas.

SHRI SHREEGOPAL VYAS (Chhattisgarh): Sir, I beg to move:

3. That at page 9, for lines 3 and 4, the following be substituted, namely:-

> "Provided that as far as possible the Court shall have members from amongst the Scheduled Tribes.
>
> Provided further that if adequate number of members of the Scheduled Tribes is not available, members from amongst other than Scheduled Tribes may be considered."

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं माननीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी का संरक्षण चाहता हूं। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Simply stick to the Amendments, whether you move or not. *(Interruptions)*

SHRI SHREEGOPAL VYAS: Sir, I have moved it. Last time also I moved it, but you did not allow me to press it. I want to bring to your notice, Mr. Vice-Chairman, that the entire House has expressed this opinion. As far as possible, people should be taken from Scheduled Tribes only. I hope, everybody present here expresses this view right from that corner to this corner. Kindly, understand the sentiments of the House. I am not deviating. The sentiment is the same. But only it is a question of a few words. I request the hon. Minister to respond to it.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 23 was added to the Bill.

CLAUSE 24:

The Executive Council

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): There is one Amendment No.4 by again Shri Shreegopal Vyas.

SHRI SHREEGOPAL VYAS (Chhattisgarh): Sir, I beg to move:

4. That at page 9, for lines 20 and 21, the following be substituted, namely:-

> "Provided that as far as possible the Executive Council shall have members from amongst the Scheduled Tribes.

Provided further that if adequate number of members of the Scheduled Tribes is not available, members from amongst other than Scheduled Tribes may be considered."

I would like to say that the same applies from clause 23 to clause 29. I have only expressed the view of the entire House. I request you to kindly understand this. I am sure, Shri Arjun Singh will definitely respond to it.

The question was put and the motion was negatived.

Clause 24 was added to the Bill.

Clause 25

The Academic Council

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): In clause 25, there is one amendment by Shri Shreegopal Vyas.

SHRI SHREEGOPAL VYAS: Sir, I move:

That at page 9, lines 29 and 30, the following be substituted, namely: -

"Provided that as far as possible the Academic Council shall have members from amongst the Scheduled Tribes.

Provided further that if adequate number of members of the Scheduled Tribes is not available, members from amongst other than Scheduled Tribes may be considered."

The question was put and the motion was negatived.

Clause 25 was added to the Bill.

Clause 26

Removal of Employees of University

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now take up clause 26. There is one amendment by Shri Shreegopal Vyas.

SHRI SHREEGOPAL VYAS: Sir, I move:

That at page 9, for lines 38 and 39, the following be substituted, namely:-

"Provided that as far as possible the College Development Council shall have members from amongst the Scheduled Tribes.

Provided further that if adequate number of members of the Scheduled Tribes is not available, members from amongst other than Scheduled Tribes may be considered."

The question was put and the motion was negatived.

Clause 26 was added to the Bill.

Clause 27

Honorary degrees

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now take up clause 27. There is one amendment by Shri Shreegopal Vyas.

SHRI SHREEGOPAL VYAS: Sir, I move:

> "Provided that as far as possible the Boards of Studies, the Academic Boards and the Management Boards shall have members from amongst the Scheduled Tribes.
>
> Provided further that if adequate number of members of the Scheduled Tribes are not available, members from amongst other than Scheduled Tribes may be considered."

The question was put and the motion was negatived

Clause 27 was added to the Bill

Clause 28

The Finance Committee

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now take up clause 28. There is one amendment by Shri Shreegopal Vyas.

SHRI SHREEGOPAL VYAS: Sir, I move:

That at page 10, for lines 1 and 2, the following be substituted, namely:-

> "Provided that as far as possible the Finance Committee shall have members from amongst the Scheduled Tribes.
>
> Provided further that if adequate number of members of the Scheduled Tribes is not available, members from amongst other than Scheduled Tribes may be considered."

The question was put and the motion was negatived.

Clause 28 was added to the Bill.

Clause 29

Maintenance of discipline among students of University

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now take up clause 29. There is one amendment by Shri Shreegopal Vyas.

SHRI SHREEGOPAL VYAS: Sir, I move:

That at page 10, for lines 5 and 6, the following be substituted, namely:-

> "Provided that as far as possible the other authorities of the University shall have members from amongst the Scheduled Tribes.

Provided further that if adequate number of members of the Scheduled Tribes is not available, members from amongst other than Scheduled Tribes may be considered."

The question was put and the motion was negatived.

Clause 29 was added to the Bill.

Clauses 30 to 50 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

The Tyre Corporation of India Limited (Disinvestment of Ownership) Bill, 2007

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): We shall now take up the next Bill. Shri Sontosh Mohan Dev.

THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): Sir, I move:

"That the Bill to provide for disinvesment of Government's equity in the Tyre Corporation of India Limited and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

श्री सुरेन्द्र लाठ (उडीसा): उपसभाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। ''टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ ओनरशिप) बिल, 2007'' सदन में लाया गया है और आज मैं यहां उस बिल पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, इस बिल को लाने का जो उद्देश्य बताया गया है या इस बिल मे जो व्यवस्था दी गई है, उसे देख कर यह लगता है कि इस बिल के माध्यम से 'टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया' का डिसइन्वेस्टमेंट करके, इसे निजी हाथों में देने की बात कही गई है। अगर हम 'टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया' के बारे में जानना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि 1984 में उसका गठन हुआ था। उस समय दो कंपनियों, 'इन्चेक टायर्स लिमिटेड' और 'नैशनल रबर मैनुफैक्चरिंग लिमिटेड', को मिला कर 'टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया' का गठन किया गया था।

5.00 P.M.

महोदय, जिस समय इन दोनों कंपनियों को मिला कर टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया, उस समय ये दोनों ही कंपनियां नुक़सान में चल रही थीं और तब ऐसी व्यवस्था थी कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी नुक़सान में चलती थी, उसे नेशनलाइज़ कर दिया जाता था। सरकार उसे अपने हाथों में ले लेती थी और फिर उसे चलाने का काम सरकार ही किया करती थी और उसी परिपेक्ष में इन दोनों कंपनियों को लिया गया और 1984 में 'टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया' का गठन किया गया। उसके बाद से लेकर आज तक यह स्थिति बनी कि यह टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया शुरू से ही नुक़सान में चलती रही। जब नक़सान अधिक हुआ तो इसे बीएफआईआर में भेज दिया गया और वहां भेजने के बाद बीएफआईआर ने उसका डिसइन्वेस्टमेंट करने का सुझाव दिया। उसी सुझाव के अंतर्गत, उसका डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए आज यह बिल सरकार के द्वारा सदन में लाया गया है।